



लिछमगराम वगै. बनाम राजस्थान सरकार वगैराह

दावा क्रमांक 284/2021

जीसीएमएस क्रमांक 2021/538

- बादी संख्या 3 घन्नाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खेड़ा हिरावास का खेत खसरा नम्बर 20 रकबा 2.5738 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 21 रकबा 3.0351 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 24 रकबा 2.7033 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.8939 हैक्टेयर पूरा मौजा बुरडी के खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 2.0072 हैक्टेयर पूरा मौजा ऐवाद के खेत खसरा नम्बर 72 रकबा 1.9101 हैक्टेयर में से रकबा 0.1619 हैक्टेयर दक्षिणी-पश्चिमी कोने का कुटाउ भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
- प्रतिवादी संख्या 2 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा ऐवाद का खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 3.6907 हैक्टेयर में से रकबा 1.4407 हैक्टेयर उत्तरी तरफ का पूर्व से पश्चिम लम्बाई में, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.5827 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.0522 हैक्टेयर पूरा खसरा नम्बर 103 रकबा 2.1772 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 71 रकबा 1.6026 हैक्टेयर में से रकबा 0.8013 हैक्टेयर उत्तरी तरफ का पूर्व से पश्चिम लम्बाई में रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
- बाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।
- उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पूर्वा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दायित्व काफतर हो।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

निर्णय आज दिनांक 17.7.25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर

न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल